दिनांक 3, मार्च 2012 को दैनिक नवज्योति के जयपुर, जोधपुर, अजमेर व कोटा संस्करण में प्रकाशित विज्ञप्ति

विज्ञप्ति

01.01.2004 के पश्चात राज्य सरकार एवं विद्युत कम्पनियों में नियुक्त राज्य कर्मचारियों की मेडिक्लेम पॉलिसियों का राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है। पॉलिसी के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सालयों व सभी राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। गैर अनुमोदित चिकित्सालय में इलाज कराने पर पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। इलाज की सुविधा CGHS पैकेज दर एवं पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुरूप अधिकतम रु.1 लाख तक ही देय होगी।

मेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत अनुमोदित निजी चिकित्सालयों ने CGHS दर पर इलाज करने की सहमति दी है एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय CGHS दर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु बाध्य है। राज्य कर्मचारी द्वारा मेडिक्लेम पॉलिसी में बीमित होने की सूचना चिकित्सालय को नहीं दिए जाने के कारण चिकित्सालय द्वारा सामान्य दर से चिकित्सा राशि वसूल कर ली जावेगी, जबकि बीमित का इलाज CGHS दर पर, जो कि अस्पताल की सामान्य दर से कम है पर ही इलाज हो सकता है। टीपीए द्वारा बीमित को CGHS दरों पर ही चिकित्सा खर्चे का पुनर्भरण किया जावेगा।

यदि कर्मचारी द्वारा मेडिक्लेम पॉलिसी में बीमित होने की सूचना एवं आवेदन पत्र नहीं भरने के कारण चिकित्सालय द्वारा सामान्य दर से राशि वसूल की जाती है तो निजी चिकित्साल द्वारा अधिक वसूल की गई राशि स्वयं बीमित द्वारा वहन की जावेगी। इलाज के समय बीमित कर्मचारी अनुमोदित निजी चिकित्सालय में राज मेडिक्लेम पॉलिसी में बीमित होना अवश्य सूचित करें एवं इलाज हेतु अस्पताल में निर्धारित 'आवेदन पत्र' अवश्य भरकर देवें। चिकित्सालय द्वारा CGHS दर से अधिक राशि वसूले किये जाने पर तुरन्त राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एवं टी.पी.ए. को सूचित करे। यदि कर्मचारी चिकित्सालय में अपनी पहचान व्यक्त नहीं करता है एवं CGHS दर से अधिक राशि वसूलने की सूचना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग एवं टी.पी.ए. को नहीं देता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। मेडिक्लेम पॉलिसी में अनयुता टी.पी.ए. को नियुक्त किया गया है, जिसका पता निम्न है :-

अनयुता टी.पी.ए. बी-204, अमृत कलश, गोपालपुरा, टोंक रोड, जयपुर। फैक्स नं.0141-2700792, फोन नं.-0141-6596565, टोल फ्री नं.-18004251111, हैल्पडेस्क मोबाइल नं.8764176164, ई-मेल-jaipurb@anyutatpa.com.

इलाज के लिए भर्ती के समय टी.पी.ए. को सूचित करें। कैश लैस चिकित्सा (critical illness एवं surgical मामलों में देय है) सुविधा के लिए भर्ती के साथ ही टी.पी.ए. से preauthorisation लेवें। मेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2011-12, प्रस्ताव पत्र, दावा पत्र का प्रारूप, अनुमोदित चिकित्सालयों की सूची व अन्य जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in या www.anyutatpa.com देखें।

अतिरिक्त निदेशक,

डीआईपीआर/सी/2028/12/ प/ई — राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राज., जयपुर